

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हिण्डोज.....
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
हिण्डोज.....

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हिण्डोज...../नायब तहसीलदार
..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
अनुसरण में ग्राम
..... तहसील हिण्डोज..... व जिला की जमाबन्दी
संवत् 2058..... में खाता संख्या 44..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र०स० | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---|-------------|--|--|
| 1 | धुरली जिले के क्र. नं० C.A. 453, 454 | 44 | गोरीज पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2, दीनाराम, मुरारी केलारा, महेश फि चौकी हिस्सा 1/2 जाति- जाट सा. विजयपुरा | गिरिज पुत्र श्रीलाल हि 1/2, दीनाराम, मुरारी केलारा, महेश फि चौकी हिस्सा 1/2 जाति-ब्राह्मण सा. विजयपुरा |

उप जिला कलेक्टर
हिण्डोज सिटी, जिला करौली

नोट:- गिरिज पुत्र श्रीलाल डि० 6.12.1996
को फौत हो चुकते हैं जिसके कारिसान की जांचकर
सिभाराम, राधारमण, महोदेव गजानंद का
नामांतरकरण किया जावे।

(उप जिला कलेक्टर)
पीठासीन अधिकारी
हिण्डोज सिटी, जिला करौली
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 1-6-2016

क्र. - 2432-34
पि:-

तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
प्रार्थी श्री को सूचनार्थ
रक्षित पत्रावली।
निवासी विजयपुरा

(उप जिला कलेक्टर)
हिण्डोज पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,